राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प 5(3) राज-4/86/राज-6/23 जयपुर, दिनांक 27-6-98

अधिसूचना

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या- 3) की धारा 42-बी एवं राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम, 1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या - 15) की धारा 260 के उप खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 24 डी डी डी डी के तहत समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर भूमि के अपखण्डन (फ्रेग्मेन्ट) के हस्तान्तरण को विधि मान्य किये जाने हेतु अधिकृत किये जाते हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(के० पी० सिंघल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निजी सचिव/मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री महो०/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
2- समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान ।
3- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5- "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6- निदेशक, जन सम्पर्क, निदेशालय, जयपुर ।
7- निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 27-6-98 में प्रकाशनार्थ ।
8- अतिरिक्त निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9- संयुक्त निबन्धक, न्यायाधीश, पुस्तकालय, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
10- रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव